



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / यो०ब० -23 / 2015- 659

दिनांक :- 16.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) को रु० 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04 / यो०बजट-09 / 2010-01 / स्वी० व०प० दिनांक 26.04.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो०बजट-09 / 2010 –44 / आ० व०प० दिनांक 28.04.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत कुल रु० 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04 / यो०बजट-09 / 2010-01 / स्वी० व०प० दिनांक 26.04.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो०बजट- 09 / 2010 –44 / आ० व०प० दिनांक 28.04.2017 के आलोक में किया जाता है।

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	"2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 52—"झारखण्ड राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान"	79—सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19P240602796020101	650.000
कुल आवंटित राशि				650.000

अर्थात् कुल रु0 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक—1 पर संलग्न है।

2. **वर्तमान आवंटित राशि 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख रुपये)** मात्र प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 52—झारखण्ड राज्य चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना’ विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान के अन्तर्गत 79—सहायता अनुदान सामान्य (गैर—वेतन) इकाई में विकलनीय होगा।

3. **झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को विशेष परिस्थिति में त्रैमासिक आधार पर राशि की निकासी कर केवल उतनी ही राशि को बैंक खाते से संचालित करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि राशि की समाप्ति होने पर ही पुनः कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाता के माध्यम से संचालित की जायगी।**

4. **सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा—संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।**

प्राधिकरण को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी—सह—मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रॉची का होगा।

5. **इस राशि का व्यय प्राधिकरण के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप ही किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित की जाएगी।**

6. **योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश, वित्तीय नियमों एवं नियमानुसार के आधार पर किया जाएगा।**

7. **प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी भी अन्य स्त्रोत से करने के लिए राशि की मांग नहीं की जाएगी। यह जिम्मेवारी सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को होगी।**

8. **प्राधिकरण में वित्त विभाग के प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे और सभी व्यय सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर किये जायेंगे।**

9. **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, रॉची होंगे। निकसी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया**

जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. मजदूरी भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजूदरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. सदस्य सचिव, झारखण्ड प्राधिकरण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।


13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

15. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

16. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को समर्पित की जायेगी।



17. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त /

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 —23 / 2015- 659

दिनांक :— 16.05.2017

प्रतिलिपि—अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव-विविधता पर्षद, झारखण्ड, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त /

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 —23 / 2015- 659

दिनांक :— 16.05.2017

प्रतिलिपि— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त /

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 —23 / 2015- 659

दिनांक :— 16.05.2017

प्रतिलिपि— अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची / उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त /

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या -

01/yb-23/2015/659


दिनांक -

16-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796520679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 52 - झारखण्ड राज्य चिडियाव्रर प्राधिकरण को अनुदान 06 - अनुदान 79 - महायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	32806 DRNFWL049	KAMLESH PANDEY, IFS C F WILD LIFE DIVISION RANCHI	65,000,000.00 रुपये छ: करोड़ पचास लाख

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

65,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड़ पचास लाख

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PB@PDMANAFSHAND